पंचदश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-5   सोमवार, दिनांक- 06 दिसम्बर, 2010 ई० ।

मानननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 11.30 बजे पूर्वा० तक ।

[1] **प्रश्नोत्तर काल :-**

03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

[2] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया :-

(i) श्री प्रदीप कुमार   (ii) डॉ० अच्युतानन्द

(iii) डॉ० रणविजय कुमार   (iv) श्री दिनेश कुमार सिंह

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपना मोबाईल फोन सदन में प्रवेश करने के पूर्व बंद कर दें । इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा रहेगा कि माननीय सदस्यगण मोबाइल फोन लेकर सदन में नहीं आएँ ।

[3] **ध्यानाकर्षण सूचना :-**

(i) सर्वश्री मंजीत कुमार, अमरेन्द्र पाण्डेय एवं अन्य पाँच सभासदों की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री राज किशोर केसरी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री राम लषण राम ''रमण'' की पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित हुआ ।

[4] **सभा मेज पर कागजातों का रखा जाना :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[5] **मनोनयन का प्रस्ताव :-**

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस-दस सदस्यों, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात-सात सदस्यों, बिहार राज्य ईख बोर्ड के लिए चार सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पाँच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो-दो सदस्यों तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के तहत् राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उनके नियमों को शिथिल करते हुए मनोनयन करने हेतु अध्यक्ष बिहार विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[6] **समितियों के गठन का प्रस्ताव :-**

(i) माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2010-11 की शेष अवधि के लिए गठन निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष बिहार विधान सभा सदस्यों का मनोनयन करे तथा एतद् विषयक नियमों को इस हद तक शिथिल किया जाय संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के वर्ष 2010-11 के शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह-सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमश: 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे । प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 4.00 बजे अप० तक

[7] **महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद :-**

माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार ने यह प्रस्ताव किया कि ''यह सदन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञ है ।'' माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

आसन द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उपस्थापित धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल, श्री जाकिर हुसैन खान, स०वि०स० एवं श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स० से प्राप्त संशोधन को पढ़ा हुआ समझा जाय की घोषणा की गई ।

माननीय नेता विरोधी दल श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अपना पक्ष रखा गया ।

इसके उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव एवं संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

(1) श्री प्रमोद कुमार

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि वाद-विवाद कल दिनांक 07.12.2010 को भी जारी रहेगा ।

[8] **निवेदन :-**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल 03 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 07.12.2010 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-06.12.2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।